प्रपत्र -5

राजस्थान सरकार

# ( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

## ( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,कोटकासिम )

## ( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट )कैम्प बघाना

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

उनवान

जयपाल बनाम आनुप्रकाश

दावा बाबत:- अं.धा.- 188 R.T. Act.

मुकदमा नम्बर:- 93/17

निर्णय दिनांक:- 14.5.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से —

की उपस्थिति में आज तारीख .....को .....( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - वादी का वाद इसकदर डिक्री किया जाता है कि आराजी स.नं. 479/0.13 है० वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम में प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजी की तरफ पूर्वी डोल को मिसमार ना करे, ना ही वादीगण की आराजी में जबरन प्रवेश करे ना ही भिन्न वादीगण को जबरन बेदखल करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगें ।

यह आज तारीख 14.5.18 को मौ हस्ताक्ष्र से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना R.A.S)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

### वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रर्दशों के लिए स्टाम्प<br>4. .....रूपये पर प्लीडर के फीस<br>5. साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | रूपया | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर के फीस<br>साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय<br>आदेशिका की तामिल<br>कमिश्नर की फीस | रूपया |
| जोड | | जोड | |

Scanned by CamScanner